



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042026-271818
CG-DL-E-15042026-271818

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1840]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948

No. 1840]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2026

का.आ. 1909(अ).— केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के स्वायत्त कार्यालय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80% से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित करती है।

- आईसीएमआर-राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश
- आईसीएमआर-क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र, बीआरडी मेडिकल कॉलेज कैम्पस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

[फा. सं. ई.11018/02/2025-एचआर]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health Research)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2026

S.O. 1909(E).— In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Indian Council of Medical Research, which is an autonomous office of the Department of Health Research, where more than 80% of officers/employees have attained working knowledge of Hindi.

1. ICMR - National Institute For Research In Environmental Health, Bhopal, Madhya Pradesh
2. ICMR-Regional Medical Research Centre, BRD Medical College Campus, Gorakhpur, Uttar Pradesh

[F. No. E.11018/02/2025-HR]

RICHA KHODA, Jt. Secy.